

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर खंड- 1, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर खंड- 1, विकासनगर के माह 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक, श्री कलवन्त सिंह व श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.09.2020 से 28.09.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं बी.बी.एम त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री निखिल गोस्वामी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2017 से 24.06.2017 तक संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - डाकघर से सुदोवाला तक (दाँयी ओर), ट्रेडर्स व संविदाकार

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	1489.06
2018-19	1116.54
2019-20	6011.26

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18			343.43	315.18	-	27.45
2018-19			465.36	430.75	-	26.61
2019-20			175.92	126.28	-	49.64

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A'श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर खंड- 1, विकासनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर खंड- 1, विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: 08/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: 03/2019 एवं 12/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कर का अनारोपण ₹ 5.63 लाख।

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 5.17 लाख ।

प्रस्तर- 03 : कर का न्यूनारोपण ₹ 4.06 लाख ।

प्रस्तर- 04 : कर का न्यूनारोपण ₹ 1.50 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 1.84 लाख।

प्रस्तर- 05 : सुख-साधन कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.07 लाख।

प्रस्तर- 06 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹ 0.15 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 0.45 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-2 'ब'**प्रस्तर- 01: कर का अनारोपण ₹ 5.63 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है। अधिनियम की धारा 6(15)(ग) के अनुसार क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र (credit note) जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता व्यौहारी को एक नाम-पत्र (debit note) जारी किया जायेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-1, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि अधोलिखित व्यौहारियों द्वारा क्रेडिट नोट्स प्रस्तुत किए बिना ही खरीद वापसी को डेबिट-नोट्स के आधार पर अथवा स्पेशल डिस्काउंट को खरीद वापसी की मान्यता देते हुये कर का आरोपण नहीं किया था:

व्यौहारी का नाम (सर्वश्री)	टिन संख्या	कर निर्धारण वर्ष	माल का मूल्य	कर की दर %	कर की राशि (₹)
सूटिक प्लॉट न.-07	05009749980	2014-15	222757	13.5	30072
बालाजी ट्रेडर्स	05012642811	2015-16	594868	13.5	80307
चार्मवेल इण्डिया	05011539824	2013-14	961918	5	48096
		2014-15	1088898	5	54445
		2015-16	678531	5	33927
Total					246847

अतः उक्तानुसार ₹ 246847/- कर का आरोपण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त व्यौहारी चार्मवेल इण्डिया, वर्ष 2014-15 की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा फॉर्म-16 से आयात किए गए माल की कीमत ₹ 11457654/- थी जबकि, कर निर्धारण आदेश में ₹ 10,88,898/- की खरीद वापसी को जोड़ते हुये कुल खरीद ₹ 9979373/- (₹ 8890475 + 1088898) दिखाई गयी है। इस प्रकार ₹ 1478281/- की खरीद कम दिखायी गयी। अतः अंतरीय खरीद ₹ 1478281 की बिक्री पर 5% की दर से ₹ 73914/- कर आरोपणीय होगा एवं नियमानुसार अर्थदण्ड भी अधिरोपित होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली कि जाँच के उपरान्त खरीद वापसी को मान्यता दी है जिसका साक्ष्य सम्प्रेक्षा को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

(B) निम्न व्यौहारियों की कर निर्धारण पत्रावली एवं आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यौहारियों द्वारा संगत वर्षों में बिक्री कम प्रदर्शित की थी। बिक्री कम प्रदर्शित करने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। अतः कम प्रदर्शित बिक्री पर निम्नानुसार कर आरोपणीय था:

व्यौहारी का नाम (सर्वश्री)	वर्ष	प्रा. रहतिया	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया	कम प्रदर्शित बिक्री	कर की दर %	कर की राशि (₹)
रेलेक्सन फर्नीचर, रसूलपुर, विकासनगर	2013-14	112530	515437	302256	62350	263361	5	13168
गणपति ट्रेडर्स (05008672310)	2014-15	46663	1670589	1115913	589406	11933	13.5%	1611
बालाजी सेल्स कापेरिशन (टिन: 05009647354)	2015-16	13654	1169792	216926	822405	144115	13.5	19456
योग								34235

इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री बालाजी सेल्स द्वारा प्रस्तुत ex UA खरीद ₹ 2444307/- में अधिकांश माल अवर्गीकृत श्रेणी का था जिसे इकाई द्वारा 5% एवं 13.5% श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। अतः उक्त समस्त आयातित खरीद के अनुसार ₹ 2444307 पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा। चूंकि पूर्व में 5% की दर से कर आरोपित किया जा चुका था, अतः अंतरीय दर 8.5% की दर से ₹ 207766/- कर आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अवगत करा दिया जाएगा।

इस प्रकार ₹ 5,62,762/- [₹2,46,847+₹73914+₹34235+₹207766] के कर के अनारोपणता का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 02 : विलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 5.17 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली- 2005 के नियम-11 के अनुसार कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त 50 लाख से अधिक है, उसे उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा करना है एवं जिसका सकल आवर्त 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में:

(i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)। पूर्व में 50% यदि कर ₹ 10 हजार से अधिक हो एवं 10% यदि कर ₹ 10 हजार से कम हो (26.03.2014 से)।

(ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तो देय कर ₹ 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का दायी होगा।

कार्यालय सहा. आयुक्त (क.नि.), खण्ड-1, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्योहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	अवधि		कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड %	अर्थदण्ड (₹)
	From	To			माह	दिन			
चार्मवेल इण्डिया (05011539824)	04/14	04/14	20.05.14	21.05.14		01	49500	50	24750
	05/14	05/14	20.06.14	23.06.14		3	46000	50	23000
	03/15	03/15	20.04.15	05.05.15		16	189000	50	94500
गायत्री पैकर्स (05016298741)	01/17	03/17	20.04.17	27.07.17	03	07	120063	20	24012
ज्योति इंटर प्राइजेज़ (05013401351)	04/16	06/16	20.07.16	01.05.17	6	15	28620	20	5724
	04/16	06/16	20.07.16	09.08.16		18	3000	5	150
	07/16	09/16	20.10.16	25.10.16		05	14000	5	700
	10/16	12/16	20.01.17	25.01.17		05	16000	5	800
	01/17	03/17	20.04.17	26.04.17		06	50000	5	2500
	01/17	03/17	20.04.17	23.04.17		03	10000	5	500
थानु गार्मेंट्स, विकासनगर (05005329690)	04/16	06/16	20.07.16	04.08.16		14	12000	5	600
	10/16	12/16	20.01.17	30.01.17		10	30000	5	1500
	01/17	03/17	20.04.17	25.04.17		5	15000	5	750
शरद हौजरी (05013645015)	04/16	06/16	20.07.16	15.09.16	1	25	9717	10	971
	07/16	09/16	20.10.16	23.11.16	1	03	18000	10	1800
	10/16	12/16	20.01.17	08.02.17		18	21907	5	1095
	01/17	03/17	20.04.17	25.05.17	1	05	11255	10	1125
सरस्वती फूड प्रॉडक्ट (05008124260)	04/16	06/16	20.07.16	25.07.16		5	12215	5	610
	07/16	09/16	20.10.16	02.11.16		12	15355	5	767
	10/16	12/16	20.01.17	25.01.17		5	7115	5	355
	01/17	03/17	20.04.17	25.04.17		5	17160	5	858
पावरटेक kebccon (05009399131)	07/15	09/15	20.10.15	29.10.15		9	13000	5	650
	10/15	12/15	20.01.16	22.01.16		2	82000	5	4100
	01/16	03/16	20.04.16	25.04.16		5	133000	5	6650
ठाकुर इंटर प्राइजेज़ (05014431297)	04/15	06/15	20.07.15	09.09.15	1	19	20000	10	2000
	10/15	12/15	20.01.16	09.02.16		19	20000	5	1000
	01/16	01/16	20.02.16	04.03.16		14	34000	5	1700
	01/16	03/16	20.04.16	20.07.16	3		108000	20	21600
	01/16	03/16	20.04.16	13.07.16	2	23	90000	20	18000
सिद्धबली एसोसिएट (05007620733)	04/15	06/15	20.07.15	24.07.15		4	235400	5	11770
	07/15	09/15	20.10.15	28.10.15		8	27880	5	1394
	10/15	12/15	20.01.16	25.01.16		5	23773	5	1189
	01/16	03/16	20.04.16	29.04.16		9	18550	5	927

गोयल सेल्स (05008628369)	01/14	03/14	25.04.14	19.05.14		23	38150	50	19075
सनशाइन इंडस्ट्रीज (05005352679)	07/13	09/13	25.10.13	11.11.13		15	120000	50	60000
	10/13	12/13	25.01.14	28.03.14	2	3	86352	50	43176
	01/14	03/14	25.01.14	30.06.14	5	5	215022	50	107511
हैंको गार्मेंट्स	10/13	12/13	25.01.14	27.01.14		2	25000	50	12500
Total									517309

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा कराये जाने पर ₹ 517309.00 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नियमानुसार नोटिस जारी/ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 03: कर का न्यूनारोपण ₹ 4.06 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है (10/2016 से 14.5%)। अनुसूची-III के अन्तर्गत समस्त प्रजाति के वृक्ष और सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा काष्ठ पर कर की दर 15% है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-1, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि अधोलिखित व्यौहारियों द्वारा प्रस्तुत सावधिक विवरणों अनुसार विक्रय किए गए माल पर कम कर आरोपित किया गया था:

क्रम सं.	व्यौहारी का नाम (सर्वश्री)	कर निर्धारण वर्ष/त्रैमास	माल का विवरण (₹)			कर की राशि (₹)			कर की कुल राशि (₹)
			15%			15%			
1	बालाजी टिम्बर मर्चेन्ट (टिन: 05013188630)	2016-17	782865			117430			117430

क्रम संख्या(1) पर व्यापारी द्वारा विक्रय किए गए प्रकाष्ठ पर ₹ 117430/- कर आरोपणीय था जबकि ₹108179/- कर निर्धारित किया गया था। इस प्रकार ₹ 9251/- कर कम आरोपित किया गया था। क्रम संख्या (1) के संबंध में कहा गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा।

(B) व्यापारी सर्वश्री ओम प्रिंटर्स, सेलाकुई (टिन: 05015261035), वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी का व्यापार रबड़ स्टेरियो की खरीद बिक्री का है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 1967890/- की खरीद तथा ₹ 2369999/- की बिक्री प्रदर्शित की गयी थी। उक्त बिक्री में ₹ 459554/- की केंद्रीय बिक्री 2% की दर से, ₹ 1729835/- की प्रांतीय बिक्री 5% की दर से एवं ₹ 180610/- की प्रांतीय बिक्री कर मुक्त माल की प्रदर्शित थी। आगे जाँच में यह भी पाया गया कि कर मुक्त माल के विक्रय में माल का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं था एवं कर मुक्त माल की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। चूंकि रबड़ स्टीरियो किसी भी अनुसूची

में सम्मिलित नहीं है अर्थात् अवर्गीकृत माल की श्रेणी में है, अतः इसकी बिक्री पर निम्नानुसार कर निर्धारण किया जाना था:

माल का मूल्य	कर की दर %	कर की राशि (₹)	आरोपित कर (₹)	अन्तर (₹)
1729835	14.5%	250826	86492	164334
180610	14.5%	26188	0	26188
Total				190522

(लेखापरीक्षा में उक्त माल की विक्रय सूची उपलब्ध न कराये जाने के कारण कर का वर्गीकरण 13.5% व 14.5% में नहीं किया जा सका।)

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा पाने उत्तर में कहा गया कि वैट अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी की जा रही है। कार्यवाही के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार ₹ 199773/- (9251+190522) के कर के न्यानारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर- 04 : कर का न्यूनारोपण ₹ 1.50 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 1.84 लाख।

केंद्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 की धारा-6A के अनुसार: where any dealer claims that he is not liable to pay tax under this Act, in respect of any goods, on the ground that the movement of such goods, from one state to another was occasioned by reason of transfer of such goods by him to any other place of his business or to his agent or principal, and not by reason of sale, the burden of proving that the movement of goods was so occasioned shall be on that dealer and for this purpose he may furnish to the Assessing Authority, within the prescribed time a declaration. If the dealer fails to furnish such declaration, then the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale.

Further, Sub-rule (5) of Rule-12 of CST (R&T) Rules, 1957 says: The declaration referred to sub-section (1) of Section-6A shall be in Form-F.

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58 (xxix) के अनुसार यदि व्यौहारी कोई गलत घोषणा पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो वह अंतर्गस्त माल की कीमत के 40% से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुणा धनराशि, जो भी अधिक हो का देनदार होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-1, राज्य कर, विकासनगर के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में व्यौहारी सर्वश्री यूके एग्रो (टिन 05009481193) का वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी का व्यापार जूस, कोल्ड ड्रिंक्स आदि की खरीद बिक्री का है। व्यापारी द्वारा दिनांक 22.05.13 को पंजाब स्थित विपुल ट्रेडर्स को ₹ 456346/- के माल का स्टॉक ट्रान्सफर किया था जिसके समर्थन में उक्त फर्म द्वारा जारी फॉर्म-एफ प्रस्तुत किया गया।

आगे, व्यापारी की गोपनीय पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त फर्म व्यापारी द्वारा अपने संव्यवहार हेतु घोषित नहीं की थी एवं न ही उक्त फर्म से किसी प्रकार का एग्रीमंट ही पत्रावली पर उपलब्ध था।

अतः नियमानुसार धनराशि ₹ 456346/- का स्टॉक ट्रान्सफर मान्य नहीं था एवं उक्त माल को नियमानुसार विक्रय मानते हुये 13.5% की दर से ₹ 61607/- का कर आरोपणीय था एवं जिसपर नियमानुसार कर की राशि का तीन गुणा ₹ 184821 अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

आगे, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहरी द्वारा कुल खरीद ₹ 9949441/- की गयी थी जबकि ₹ 631871/- एक्साइज़ ड्यूटी एवं ₹ 24,810/- का फ्रेट चार्ज घटाते हुये शुद्ध खरीद ₹ 9292760/- घोषित करते हुये कर निर्धारण किया गया था जबकि नियमानुसार आयातित माल में समस्त प्रकार के कर एवं फ्रेट जोड़कर शुद्ध खरीद निर्धारित की जानी थी। अतः ₹ 656681/- की कम प्रदर्शित खरीद की बिक्री पर ₹ 88652/- का कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का पक्ष जानकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार ₹150259.00 (₹61607+88652) के कर का न्यूनारोपण तथा ₹184821.00 के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"**प्रस्तर- 05 : सुख-साधन कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.07 लाख।**

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 के अनुसार अधिनियम की धारा-5 में यह प्रावधानित है कि यदि कोई स्वामी विहित अवधि में कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह असदत रही धनराशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का भागी होगा और ऐसा ब्याज कर की धनराशि में जोड़ दिया जाएगा तथा सभी प्रायोजनों के लिए कर का भाग समझा जाएगा। धारा-10 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विहित कालावधि के भीतर धारा-5 अथवा धारा-2 के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहेगा तो, धारा-5 की उपधारा-2 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह दोष सिद्ध होने पर पाँच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा और जब अपराध चालू रहने वाला हो तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, प्रतिदिन एक सौ रुपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माने से दंडनीय होगा।

उत्तराखण्ड होटलों में सुख-साधन कर नियमावली, 2009 के नियम-3(B) के अनुसार: the amount of tax payable by a hotel owner under sub-section (1) of section 5 of the Act shall be paid into a Govt. Treasury or SBI by a challan in LT form-1 within 05 days after the end of the month to which the tax collected by the hotel owner relates.

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निम्न होटल स्वामियों द्वारा देय कर विलम्ब से जमा कराया गया था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	माह	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	दिन	कर की राशि (₹)	कर विलम्ब हेतु अर्थदण्ड %	विलम्ब से जमा दिनों हेतु अर्थदण्ड @ 100/दिन (₹)
Vshranti Heritage Hotel, Premnagar	04/15	05.05.15	11.05.15	6	45421	5000	600
	05/15	05.06.15	12.06.15	7	31969	5000	700
	06/15	05.07.15	14.07.15	9	70760	5000	900
	04/15	05.05.15	11.09.15	126	27832	5000	12600
	03/16	05.04.16	03.05.16	28	36989	5000	2800
Heritage DS, Baaboogarh, Vikasnagar	04/16	05.05.16	06.05.16	1	10000	5000	100
	05/16	05.06.16	30.06.16	25	1000	5000	2500
	09/16	05.10.16	03.10.17	363	1000	5000	36300
	11/16	05.12.16	09.12.16	4	12750	5000	400
	12/16	05.01.17	09.01.17	4	17500	5000	400
Total						50000	57300

अतः कर विलम्ब से जमा कराये जाने पर उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय है एवं नियमानुसार ब्याज भी देय होगा ।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इस प्रकार ₹ 157300/- के अर्थदण्ड के अनारोपणता का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 06 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹ 0.15 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 0.45 लाख।

अधिनियम की धारा-6(8)(झ) के अनुसार: माल जो चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। धारा-58 (1)(XI) के अनुसार: यदि कोई व्योहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो बिन्दु (च) के अनुसार पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुणा धनराशि जो भी अधिक हो के अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहा. आयुक्त (क.नि.), खण्ड-1, राज्य कर, विकासनगर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न छः व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में गलत धनराशि का दावा किया था:

SI No.	Firm Name	Commodity Purchased	Date of Invoice	Amount	Rate of Tax	ITC claimed @ rate %	Excess ITC claimed
1	Sudhama Infotech, ddn	computer	26.12.13	13656	5	13.5	1161
2	Sudhama Infotech, ddn	comptuter acc	10.02.14	17357	5	13.5	1475
3	Nirmal Electronics	computer	26.12.13	9160	5	13.5	779
4	Creative Computer	comptuter acc	02.01.14	22643	5	13.5	1925
			27.01.14	7048	5	13.5	599
			31.01.14	5066	5	13.5	431
			10.02.14	1586	5	13.5	14
			10.03.14	30051	5	13.5	2554
21.03.14	10837	5	13.5	921			
5	Cinema Arts	comptuter acc	01.03.14	23260	5	13.5	1977
6	Vijay Emporium	comptuter acc	GI Pipe	07.08.16	5	13.5	3010
Total							14846

अतः उपरोक्तनुसार व्यहौरियों द्वारा निर्धारित कर की दर से अधिक दर से ₹ 14846 आईटीसी क्लेम किया था जो कि रिवर्स योग्य था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार गलत दावा कि गयी राशि ₹ 14846/- के तीन गुना ₹ 44538/- राशि अर्थदण्ड के रूप में भी देय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि पत्रावलियों पर नोटिस जारी करते हुये व्यापारी का पक्ष जानकार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
43/2005-06	-	1	
39/2008-09	1	2,3,4,5	
35/2009-10	1	1	
43/2012-13	-	1	
20/2016-17	-	1,2,3	
34/2017-18	-	1,2 व STAN - 1	

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V**आभार**

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर खंड- 1, विकासनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

1. सतत् अनियमितताएं:

टिप्पणी- शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री योगेश मिश्रा,	सहायक आयुक्त
(ii)	श्रीमती मंजली गुसाई,	सहायक आयुक्त
(iii)	श्री योगेश मिश्रा,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV